Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[BCCA Appeal Case No.-166 /2025]

Ashwini Kumar..Appellant

Versus

The State of Bihar ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.11.2025	**आदेश** यह BCCA अपील वाद जिला दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा BCCA वाद सं0-165/2025 में दिनांक-07.10.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक -08.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी राज्य का Written Statement दाखिल है। अपीलार्थी द्वारा Written Note of Argument दाखिल है। जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक-07.10.2025 में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा-2(b) के तहत श्री अश्विनी कुमार, पिता-कन्हैया कुमार राय, सा0-नवहट्टा, वार्ड नं0-08, थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा को असामाजिक तत्व Declare करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से विधान सभा चुनाव, 2025 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने तक सहरसा जिला से दरभंगा जिला के दरभंगा टाउन थाना के लिए जिला बदर किया गया। इस अपील वाद का Issue in question यह है कि पुलिस द्वारा लाये गये प्रस्ताव एवं साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी श्री अश्विनी कुमार, पिता-कन्हैया कुमार राय, सा0-नवहट्टा, वार्ड नं0-08, थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा कानून में परिभाषित Anti-social element में आते हैं अथवा नहीं। Bihar Control of Crimes Act, 2024 के धारा-2(बी) में असामाजिक तत्व (Anti Social Element) का परिभाषा अंकित है :- असामाजिक तत्व से अभिप्रेत है, जो व्यक्ति (i) भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत कोई दंडनीय अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या (ii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन महिलाओं और बच्चों की व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता है या करने में दुष्प्रेरण करता है; या (iii) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत कोई अपराध करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या (iv) धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मों, मूलवंशीय या भाषाई दलों या जातियों या समुदायों के बीच शब्दों द्वारा या अन्यथा शत्रुता या घृणा की भावना प्रोत्साहित या प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता हो; या (v) जो स्त्रियों और लड़कियों पर आदतन अश्लील फब्तियाँ करता हुआ या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया है; या (vi) बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के प्रावधानों के अधीन "गुण्डा" घोषित किया गया हो; या (vii) आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी अग्नायुध या गोला-बारूद के निर्माण या विक्रय या परिवहन या संचरण या अवैध व्यापार या सम्परिवर्तन या मरम्मत या परीक्षण या परिशुद्धि करता है या करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या इसके किसी व्यक्ति की ओर से अग्नायुध या गोला-बारूद का संधारण या वहन करता है। (viii) खान और खनिज (विकास और निनियमन) अधिनिमय, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम की धारा-67) या बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण अधिनियम, 2019) और समय-समय पर यथासंशोधित अथवा	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

21.11.2025

तथा उस समय प्रभावी अन्य कोई नियम के अन्तर्गत बालू से संबंधित अपराध करता है या किसी प्रकार का अपराध करने का प्रयास करता है या इसके लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(ix) समय-समय पर संशोधित बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम, 2016 या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि एवं इसके अधीन बनाए गए नियम, अधिसूचना तथा आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करके किसी शराब या मादक या हानिकारक मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन, निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय, वितरण करता है, अथवा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके माध्यम से उपरोक्त उल्लिखित चीजों में से किसी को आगे बढ़ाने या समर्थन करने के लिए जानबूझ कर कोई धन खर्च या लागू करता है या किसी जानवर, वाहन, जहाज, या अन्य वाहन या किसी भी पात्र या किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति करता है या जो किसी अन्य तरीके से ऐसे किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(x) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम, 2000 का 21) के अध्याय-xi के अधीन कोई दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या उसे करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(xi) या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेतृत्वकर्त्ता के रूप में अवैध और अनाधिकृत रूप से, बल या धमकी का उपयोग करके या किसी अन्य गैरकानूनी तरीके से किसी भी भूमि या भवन या किसी अन्य संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या कब्जा करने का प्रयास करता है, चाहे वह संपत्ति सरकार, स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य व्यक्ति की हो।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने, अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र आदि तथा LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला दण्डाधिकारी, सहरसा का प्रासंगिक आदेश पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक-1083/डी0सी0बी0 दिनांक-15.9.2025 के आधार पर पारित किया गया है। सुनवाई में विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि निम्न न्यायालय के स्तर से BCCA, 2024 की धारा-2b(i) के आलोक में अपीलार्थी को Anti-social element घोषित करते हुए आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से इस तथ्य को उठाया गया है कि उनके विरूद्ध संदर्भित 2 मामलों में से नवहट्टा थाना कांड सं0-160/24 में पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल Charge Sheet में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। एवं तदनुसार BCCA, 2024 की धारा-2(f) के आलोक में धारा-2b(i) का प्रावधान उनपर लागू नहीं होता है। अपीलार्थी की ओर से उठाए गये उपरोक्त कानूनी/तथ्यात्मक बिन्दु के संबंध में विपक्षी/विद्वान लोक अभियोजक की ओर से सुनवाई में कोई Counter Evidence उपस्थापित नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी श्री अश्विनी कुमार को Anti Social Element पाये जाने के विषय में संगत वैधानिक प्रावधान [BCCA, 2024 की धारा -2(b)/2(f)] के लागु होने के संदर्भ में साक्ष्य की विवेचना/Findings Record किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय के स्तर से BCCA, 2024 की धारा-2(f) के प्रावधानों को Overlook करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। उपस्थापित साक्ष्यों के आधार पर Petitioner को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 के तहत Anti-social element घोषित करने का Legal Ingredient प्रमाणित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त Findings के आधार पर जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ LCR जिला दण्डाधिकारी, सहरसा को वापस भेजें।

21/11/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।
21/11/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।